प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–14.05.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **48 वाहनों से मु0– 12800 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 05 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

01 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.05.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल– 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण की बरामदगी की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जयनरायन पुत्र गरभी नि0 तलई पुरवा मौजा अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–100/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल–10 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

गैरइरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्तों–ननकऊ उर्फ महेश पुत्र कोयले उर्फ दधिबल निवासी मननगरा रनियापुर खरगूपुर जनपद गोण्डा, 02. बुद्धू उर्फ राजेश पुत्र कोयले उर्फ दधिबल निवासी मननगरा रनियापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–97/19, धारा 304.323.504.506 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 05.05.2019 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादिनी श्रीमती रीना देवी पत्नी स्वः सुखदेव निवासी मननगरा रनियापुर खरगूपुर जनपद गोण्डा के लड़के तेजू को मार–पीटकर घायल कर दिया था। जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें खरगूपुर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्तों को ककराहा बलुवा पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाने के आरोप मे ट्रेलर चालक गिरफ्तार –

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाने के आरोप मे ट्रेलर चालक अभियुक्त– नईम हसन पुत्र जागीर हसन निवासी जरेली थाना नवाबगंज जनपद बरेली को थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0स0 184/19, धारा 279.304ए.337.427 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 12.05.2019 को उक्त चालक द्वारा कस्वा वजीरगंज में लापरवाही पूर्वक ट्रेलर चलाकर वादी की पत्नी रूबीना व बहन जुलेखा को टक्कर मार दिया था। जिससे वादी की बहन व पत्नी की घटना स्थल में ही मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें वजीरगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध असलहे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. श्रवण कुमार पाण्डेय पुत्र ज्ञानचन्द्र पाण्डेय निवासी मंहगूपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–373/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को नगर जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 14.05.2019 को उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह फोर्स के साथ गस्त व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति आनन्द समोसा तिराहा के पास अवैध असलहा लिए खड़ा है और कही जानें की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 गौरव सिंह मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुँचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

बलात्कार करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा बलात्कार करने के आरोपी अभियुक्त– अनिल कुमार पुत्र भवानी प्रसाद निवासी शम्भू नगर बूटाहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–183/19 धारा 366.376.493 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त पर थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की से शादी का झांसा देकर बलात्कार करना व बाद में शादी से मनाकर देने के आरोप के सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 मनकापुर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर मनकापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0–2 से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।